

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक JODHPUR, राजस्थान

क्रमांक: 185

दिनांक 06.04.2026

सचिव

प्रबंध समिति

NEERJA MODI SCHOOL JODHPUR

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 एवं (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप-नियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 55413 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पक्षतवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, NEERJA MODI SCHOOL JODHPUR पता DAAYITVA SOCIAL WELFARE SOCIETY, 76, UCHIYARDA, JODHPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय UCHIYARDA ब्लॉक MANDORE आसा पास (पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण) RAJWADA HOME खसरा न. 76 को शैक्षिक सत्र 2026-27 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी :-

मान्यता का प्रकार	नवीन मान्यता कक्षा (1-8)
विद्यालय का स्वीकृत मान्यता कक्षा स्तर	
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	Yes

- विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
 - मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाधता अतिर्निहित नहीं होगी।
 - विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
 - विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस-पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 - पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
 - सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटार्ड (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा।
 - विद्यालय आपु के सञ्चालन के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि
- विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;
 - किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार नहीं किया जाएगा।

Signature valid

Generated from NIC-PSP(<http://rajpsp.nic.in>) Web-Portal

RajKbJ Ref No.: 21427707



Digitally signed by K. Ansh Kumar

Tripathi

Designation : District Education Officer

Date: 2026.04.06 18:24:39 IST

Reason: Approved

Leema Thulgharia
PRINCIPAL
NEERJA MODI SCHOOL
JODHPUR

Scanned by Camera Scanner



Scanned with OKEN Scanner